



2026:AHC:21111

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45637 सन् 2025

राजू उर्फ राजकुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता: सुश्री कुसुम मिश्रा

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय संख्या - 69

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल द्वारा निर्णीत)

1. सुश्री कुसुम मिश्रा, विद्वान् अधिवक्ता आवेदक की ओर से तथा श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान् अपर महाधिवक्ता, जिन्हें श्री पंकज सक्सेना एवं श्री डी.पी.एस. चौहान, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सहायतित किया गया, राज्य की ओर से न्यायालय द्वारा सुना गया।

2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 344 सन् 2025, धारा 305(क), 331(4), 317(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत पंजीकृत है।

3. इस मामले की सुनवाई दिनांक 28.01.2026 को की गई थी। उक्त दिनांक को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था;

"1. आवेदक की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सुश्री कुसुम मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पंकज सक्सेना को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। 2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 344 सन् 2025, धारा 305(क), 331(4), 317(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत पंजीकृत है। 3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन पर इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि प्रकरण पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है, जिसमें आवेदक को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गंभीर चोटें आई हैं। तत्पश्चात्, दिनांक 13.01.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने हेतु कहा था, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य बनाम राज्य महाराष्ट्र, (2014) 10 एस.सी.सी. 635 के अनुपालन में था, विशेष रूप से इस संबंध में कि क्या पुलिस मुठभेड़ के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा क्या घायल का बयान किसी मजिस्ट्रेट अथवा किसी चिकित्साधिकारी के समक्ष अभिलिखित किया गया है।

4. आज, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिनमें यह दर्शाया गया है कि पुलिस मुठभेड़ के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 0343 सन् 2025, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर में पंजीकृत है। तथापि, यह स्वीकार किया गया है कि घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट के समक्ष और न ही किसी चिकित्साधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि पुलिस मुठभेड़ संबंधी उक्त प्रकरण में विवेचक के रूप में उपनिरीक्षक नामित था, यद्यपि यह सूचित किया गया है कि पश्चात्वर्ती रूप से उक्त प्रकरण में निरीक्षक को विवेचक के रूप में नियुक्त किया गया है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में पारित निर्देशों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पुलिस मुठभेड़ की स्थिति में, जिसमें अभियुक्त को गंभीर चोटें आती हैं, तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए तथा अन्वेषण या तो सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा अथवा किसी अन्य थाने की पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए, और किसी भी स्थिति में यह अन्वेषण मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस दल के प्रमुख से वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। उक्त वाद के पैराग्राफ 31 को निम्नवत उद्धृत किया जा रहा है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, अपीलकर्ता पी.यू.सी.एल. के सुझावों, न्यायमित्र तथा भारत संघ, राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा दायर शपथपत्रों को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि पुलिस मुठभेड़ों के मामलों में मृत्यु के मामलों की जाँच हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को मानक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए ताकि पूर्ण, प्रभावी एवं स्वतंत्र अन्वेषण सुनिश्चित किया जा सके:

31.1 जब पुलिस को किसी गंभीर आपराधिक अपराध के घटित होने से संबंधित आपराधिक गतिविधियों अथवा संचलन के बारे में कोई सूचना या खुफिया जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे किसी न किसी रूप में (अधिमानतः केस डायरी में) अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। इस प्रकार का अभिलेखन संदिग्ध व्यक्ति के विवरण अथवा उस स्थान का, जहाँ पुलिस दल जा रहा है, खुलासा किए बिना किया जाएगा। यदि ऐसी सूचना किसी उच्च अधिकारी को प्राप्त होती है, तो उसे भी किसी रूप में अभिलिखित किया जा सकता है, किन्तु संदिग्ध व्यक्ति अथवा स्थान का विवरण प्रकट किए बिना।

31.2. यदि उपरोक्त प्रकार की सूचना या खुफिया जानकारी प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा मुठभेड़ की जाती है तथा पुलिस दल द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाता है और परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, तो इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तथा उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अंतर्गत बिना किसी विलंब के न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। धारा 157 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करते समय धारा 158 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.3. उक्त मुठभेड़/घटना की स्वतंत्र जाँच सी.आई.डी. द्वारा अथवा किसी अन्य थाने की पुलिस टीम द्वारा की जाएगी, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगी (जो मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख से कम से कम एक स्तर वरिष्ठ हो)। जाँच/अन्वेषण करने वाली टीम कम से कम निम्नलिखित तथ्यों की मांग करेगी:

- (a) मृतक की पहचान की जाएगी; मृतक के रंगीन फोटोग्राफ लिए जाएंगे;
- (b) साक्ष्य संबंधी सामग्री, जैसे रक्त से सना हुआ मिट्टी, बाल, रेशे एवं धागे आदि, जो मृत्यु से संबंधित हों, को एकत्रित कर संरक्षित किया जाएगा;
- (c) घटनास्थल के साक्षियों की पहचान पूर्ण नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित की जाएगी तथा उनकी मृत्यु से संबंधित कथन (जिसमें संलग्न पुलिस कर्मियों के कथन भी सम्मिलित होंगे) अभिलिखित किए जाएंगे;
- (d) मृत्यु के कारण, ढंग, स्थान (जिसमें घटनास्थल की स्थलाकृति का कच्चा नक्शा तैयार करना तथा, यदि संभव हो, घटनास्थल का फोटो/वीडियो एवं किसी भी भौतिक साक्ष्य का संकलन शामिल है) तथा मृत्यु का समय, साथ ही कोई ऐसा पैटर्न या प्रथा जो मृत्यु का कारण बनी हो, का निर्धारण किया जाएगा;
- (e) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक के अक्षुण्ण अंगुलिछाप रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाएं। अन्य किसी भी अंगुलिछाप को खोजकर विकसित कर उठाया जाएगा तथा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जाएगा;
- (f) शव-परीक्षण जिला अस्पताल में दो चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक यथासंभव जिला अस्पताल का प्रभारी/अध्यक्ष होगा। शव-परीक्षण का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा तथा उसे संरक्षित रखा जाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(g) हथियारों से संबंधित सभी साक्ष्य, जैसे बंदूकें, प्रक्षेपास्त्र, गोलियाँ एवं कारतूस के खोल आदि को एकत्रित कर संरक्षित किया जाएगा। जहाँ लागू हो, वहाँ गोली से निकले अवशेष (गनशॉट रेसिड्यू) एवं सूक्ष्म धातु परीक्षण (ट्रेस मेटल डिटेक्शन) किया जाएगा;

(h) मृत्यु के कारण का निर्धारण किया जाएगा कि वह प्राकृतिक मृत्यु थी, आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या अथवा हत्या।

31.4. धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जाँच अनिवार्य रूप से उन सभी मामलों में की जाएगी, जहाँ पुलिस फायरिंग के दौरान मृत्यु होती है, तथा उसका प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भेजा जाएगा।

31.5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संलिप्तता आवश्यक नहीं है, जब तक कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच के संबंध में गंभीर संदेह न हो। तथापि, घटना की सूचना बिना किसी विलंब के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसी स्थिति हो, को भेजी जानी चाहिए।

31.6. घायल अपराधी/पीड़ित को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा उसका बयान मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ अभिलिखित किया जाएगा।

31.7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, डायरी प्रविष्टियाँ, पंचनामा, नक्शा आदि को संबंधित न्यायालय में भेजने में किसी प्रकार का विलंब न हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.8. घटना की पूर्ण जाँच के पश्चात जाँच प्रतिवेदन धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को भेजा जाएगा। जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के अनुसरण में विचारण शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जाएगा।

31.9. मृत्यु की स्थिति में कथित अपराधी/पीड़ित के निकटतम परिजन को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

31.10. पुलिस फायरिंग में हुई मृत्यु के सभी मामलों के संबंध में छः मासिक विवरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छः मासिक विवरण क्रमशः 15 जनवरी एवं 15 जुलाई तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त हो जाएँ। उक्त विवरण निम्न प्रारूप में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंचनामा तथा जहाँ उपलब्ध हो, जाँच प्रतिवेदन के साथ भेजे जा सकते हैं:

- (i) घटना की तिथि एवं स्थान।
- (ii) थाना एवं जनपद।
- (iii) मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ:
- (a) मुठभेड़ में आत्मरक्षा के दौरान।
- (b) विधि-विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान।
- (c) गिरफ्तारी करने के दौरान।
- (iv) घटना के संक्षिप्त तथ्य।
- (v) आपराधिक प्रकरण संख्या।
- (vi) अन्वेषण एजेंसी।
- (vii) मजिस्ट्रेटीय जाँच/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जाँच के निष्कर्ष:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(a) विशेष रूप से उन पुलिस अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का उल्लेख, जिन्हें मृत्यु के लिए उत्तरदायी पाया गया हो; तथा

(b) क्या बल का प्रयोग न्यायसंगत था तथा की गई कार्यवाही विधिसम्मत थी या नहीं।

31.11. यदि अन्वेषण के निष्कर्ष के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री/साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आग्नेयास्त्र के प्रयोग से मृत्यु हुई है, जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाएगी तथा उसे निलंबित किया जाएगा।

31.12. जहाँ तक उस पीड़ित के आश्रितों को, जिनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई है, प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) प्रदान किए जाने का प्रश्न है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-A के अंतर्गत प्रदत्त योजना को लागू किया जाना चाहिए।

31.13. संबंधित पुलिस अधिकारी/अधिकारियों को अपने शस्त्र फॉरेंसिक एवं बैलिस्टिक परीक्षण हेतु सौंपने होंगे, तथा अन्वेषण दल द्वारा आवश्यक अन्य सामग्री भी प्रस्तुत करनी होगी, तथापि यह सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन अधिकारों के अधीन होगा।

31.14. घटना की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी के परिवार को भी दी जाएगी तथा यदि परिवार को विधिक सहायता/परामर्श की आवश्यकता हो, तो वह भी प्रदान किया जाएगा।

31.15. संबंधित अधिकारियों को घटना के तुरंत पश्चात किसी प्रकार की असामान्य पदोन्नति अथवा तात्कालिक वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे पुरस्कार केवल तभी प्रदान/अनुशंसित किए जाएँ, जब संबंधित अधिकारियों की वीरता संदेह से परे सिद्ध हो जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.16. यदि पीडित का परिवार यह पाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र जाँच या निष्पक्षता के अभाव अथवा दुरुपयोग का कोई पैटर्न विद्यमान है, तो वह घटना के क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत के गुण-दोष का परीक्षण करेगा तथा उसमें उठाई गई शिकायतों का निवारण करेगा।

6. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि आवेदक को पुलिस मुठभेड़ में गंभीर चोटें आई हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में जारी निर्देशों का, जिसे आगे आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी (ए.पी.सी.एल.सी.) वाद में (2022) 16 एस.सी.सी. 514 में भी पुष्ट किया गया है, अनुपालन नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा न तो घायल का बयान किसी चिकित्साधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया है और न ही मुठभेड़ की जाँच मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई है।

7. यह न्यायालय निरंतर ऐसे मामलों का सामना कर रहा है, जहाँ छोटे-छोटे अपराधों, जैसे चोरी आदि, में भी पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से फायरिंग की जाती है और घटना को पुलिस मुठभेड़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए। यद्यपि यह न्यायालय यह स्वीकार करता है कि पुलिस कर्मियों को भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है तथा वे उपर्युक्त परिस्थितियों में बल का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि यह विधि-सम्मत रूप से स्थापित है कि जहाँ अभियुक्त को मृत्यु या गंभीर चोटें होती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया का कठोरता से पालन अनिवार्य है।

8. आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45870 सन् 2025 तथा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 227 सन् 2026 भी आज सूचीबद्ध हैं। उक्त दोनों प्रकरण भी पुलिस मुठभेड़ से संबंधित हैं, जिनमें आवेदक को गंभीर चोटें आई हैं। जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45870 सन् 2025 में, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने मुठभेड़ के दौरान पुलिस दल का नेतृत्व किया था, स्वयं यह कथन किया है कि उनके द्वारा चलाई गई गोली से घायल आवेदक को चोट पहुँची। तदनुसार, दिनांक 14.01.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने हेतु निर्देशित किया था कि क्या पुलिस मुठभेड़ के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा क्या कोई अन्वेषण किया गया है।

9. आज प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि पुलिस मुठभेड़ के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और परिणामस्वरूप कोई अन्वेषण भी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि घायल आवेदक का बयान न तो किसी चिकित्साधिकारी के समक्ष और न ही किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किया गया है।

10. उपर्युक्त घटनाएँ स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि पुलिस मुठभेड़ों के मामलों में, जहाँ अभियुक्त को गंभीर चोटें आती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में दिए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्देश विधिवत रूप से प्रसारित किए जा चुके हैं, फिर भी पुलिस या तो उन निर्देशों से अनभिज्ञ प्रतीत होती है अथवा उनके प्रति उदासीन है।

11. इस न्यायालय ने यह भी देखा है कि पुलिस मुठभेड़ों की प्रथा, विशेष रूप से अभियुक्तों के पैरों पर गोली चलाना, एक नियमित प्रवृत्ति बनती जा रही है, जिसका उद्देश्य कथित रूप से उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करना अथवा अभियुक्त को तथाकथित रूप से दंडस्वरूप सबक सिखाना प्रतीत होता है। ऐसी कार्यवाही पूर्णतः विधि-विरुद्ध है, क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जो विधि के शासन द्वारा संचालित है, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट रूप से पृथक एवं परिभाषित हैं, और पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

12. उपर्युक्त तथ्य यह इंगित करते हैं कि न तो राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार का कोई मौखिक अथवा लिखित निर्देश जारी किया गया है कि छोटे अपराधों में भी अभियुक्तों के पैरों पर गोली चलाकर उन्हें सबक सिखाया जाए, और न ही ऐसे कृत्यों को किसी भी आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके अथवा अभियुक्तों पर गोली चलाकर घटनाओं को पुलिस मुठभेड़ के रूप में प्रस्तुत कर जनसहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके।

13. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई चोट नहीं आई है, जो तथाकथित मुठभेड़ों में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग की आवश्यकता एवं अनुपातिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) तथा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों तथा न्यायालय को यह अवगत कराएं कि क्या पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार कोई मौखिक अथवा लिखित निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पुलिस मुठभेड़ के नाम पर अभियुक्तों के पैरों में या अन्यथा गोली चलाएँ, अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ पुलिस मुठभेड़ के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटें होती हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, घायल व्यक्तियों के बयान अभिलिखित करने तथा मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

15. इस मामले को दिनांक 30.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे, इस जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 45870 सन् 2025 तथा 227 सन् 2026 के साथ अग्रिम सूची में रखा जाए।

16. निबंधक (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्थित अपर मुख्य सचिव (गृह) तथा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को प्रेषित करें।

4. दिनांक 28.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश तथा श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। दोनों अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) एवं अन्य बनाम राज्य महाराष्ट्र, (2014) 10 एस.सी.सी. 635 के प्रकरण में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में, जहाँ मृत्यु अथवा गंभीर चोटें हुई हों, अनुपालन हेतु दिनांक 01.08.2017 तथा 11.10.2024 के परिपत्र जारी किए गए हैं। दोनों अधिकारियों ने यह भी निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, जब उन्हें वर्तमान प्रकरण तथा संबंधित प्रकरणों के तथ्यों से अवगत कराया गया, तो वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कई पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यद्यपि इस संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं। उपर्युक्त दोनों अधिकारियों ने न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि वे सभी पुलिस अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नवीन निर्देश जारी करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वे इस विषय पर स्वयं ध्यान देंगे तथा यदि किसी अधिकारी को पुलिस मुठभेड़, जिसमें अभियुक्त को मृत्यु अथवा गंभीर चोटें आई हों, के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त), जिसे आगे आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी (ए.पी.सी.एल.सी.) (2022) 16 एस.सी.सी. 514 के प्रकरण में भी पुनः दोहराया गया है, में उन मामलों के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है जहाँ पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर चोटें आती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि यद्यपि मृत्यु के मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जाँच की प्रक्रिया उपलब्ध है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथापि पुलिस मुठभेड़ के संबंध में, जहाँ मृत्यु या गंभीर चोटें हुई हों, एक पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जानी चाहिए तथा अन्वेषण सी.आई.डी. द्वारा अथवा किसी ऐसी पुलिस टीम द्वारा किया जाना चाहिए जिसका नेतृत्व उस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी करे जो मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल का नेतृत्व कर रहा था। सुविधा एवं संदर्भ हेतु, पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) के पैराग्राफ 31, 32 एवं 33 निम्नवत उद्धृत किए जा रहे हैं;

31. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, अपीलकर्ता पी.यू.सी.एल. के सुझावों, न्यायमित्र तथा भारत संघ, राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा दायर शपथपत्रों को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि पुलिस मुठभेड़ों के मामलों में मृत्यु के मामलों की जाँच हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को मानक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए ताकि पूर्ण, प्रभावी एवं स्वतंत्र अन्वेषण सुनिश्चित किया जा सके:

31.1 जब पुलिस को किसी गंभीर आपराधिक अपराध के घटित होने से संबंधित आपराधिक गतिविधियों अथवा संचलन के बारे में कोई सूचना या खुफिया जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे किसी न किसी रूप में (अधिमानतः केस डायरी में) अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। इस प्रकार का अभिलेखन संदिग्ध व्यक्ति के विवरण अथवा उस स्थान का, जहाँ पुलिस दल जा रहा है, खुलासा किए बिना किया जाएगा। यदि ऐसी सूचना किसी उच्च अधिकारी को प्राप्त होती है, तो उसे भी किसी रूप में अभिलिखित किया जा सकता है, किन्तु संदिग्ध व्यक्ति अथवा स्थान का विवरण प्रकट किए बिना।

31.2. यदि उपरोक्त प्रकार की सूचना या खुफिया जानकारी प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा मुठभेड़ की जाती है तथा पुलिस दल द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाता है और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, तो इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तथा उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अंतर्गत बिना किसी विलंब के न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। धारा 157 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करते समय धारा 158 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

31.3. उक्त मुठभेड़/घटना की स्वतंत्र जाँच सी.आई.डी. द्वारा अथवा किसी अन्य थाने की पुलिस टीम द्वारा की जाएगी, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगी (जो मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख से कम से कम एक स्तर वरिष्ठ हो)। जाँच/अन्वेषण करने वाली टीम कम से कम निम्नलिखित तथ्यों की मांग करेगी:

(a) मृतक की पहचान की जाएगी; मृतक के रंगीन फोटोग्राफ लिए जाएंगे;

(b) साक्ष्य संबंधी सामग्री, जैसे रक्त से सना हुआ मिट्टी, बाल, रेशे एवं धागे आदि, जो मृत्यु से संबंधित हों, को एकत्रित कर संरक्षित किया जाएगा;

(c) घटनास्थल के साक्षियों की पहचान पूर्ण नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित की जाएगी तथा उनकी मृत्यु से संबंधित कथन (जिसमें संलग्न पुलिस कर्मियों के कथन भी सम्मिलित होंगे) अभिलिखित किए जाएंगे;

(d) मृत्यु के कारण, ढंग, स्थान (जिसमें घटनास्थल की स्थलाकृति का कच्चा नक्शा तैयार करना तथा, यदि संभव हो, घटनास्थल का फोटो/वीडियो एवं किसी भी भौतिक साक्ष्य का संकलन शामिल है) तथा मृत्यु का समय, साथ ही कोई ऐसा पैटर्न या प्रथा जो मृत्यु का कारण बनी हो, का निर्धारण किया जाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(e) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक के अक्षुण्ण अंगुलिछाप रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाएं। अन्य किसी भी अंगुलिछाप को खोजकर विकसित कर उठाया जाएगा तथा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जाएगा;

(f) शव-परीक्षण जिला अस्पताल में दो चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक यथासंभव जिला अस्पताल का प्रभारी/अध्यक्ष होगा। शव-परीक्षण का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा तथा उसे संरक्षित रखा जाएगा;

(g) हथियारों से संबंधित सभी साक्ष्य, जैसे बंदूकें, प्रक्षेपास्त्र, गोलियाँ एवं कारतूस के खोल आदि को एकत्रित कर संरक्षित किया जाएगा। जहाँ लागू हो, वहाँ गोली से निकले अवशेष (गनशॉट रेसिड्यू) एवं सूक्ष्म धातु परीक्षण (ट्रेस मेटल डिटेक्शन) किया जाएगा;

(h) मृत्यु के कारण का निर्धारण किया जाएगा कि वह प्राकृतिक मृत्यु थी, आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्या अथवा हत्या।

31.4. धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेटीय जाँच अनिवार्य रूप से उन सभी मामलों में की जाएगी, जहाँ पुलिस फायरिंग के दौरान मृत्यु होती है, तथा उसका प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भेजा जाएगा।

31.5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संलिप्तता आवश्यक नहीं है, जब तक कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच के संबंध में गंभीर संदेह न हो। तथापि, घटना की सूचना बिना किसी विलंब के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसी स्थिति हो, को भेजी जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.6. घायल अपराधी/पीड़ित को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा उसका बयान मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ अभिलिखित किया जाएगा।

31.7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, डायरी प्रविष्टियाँ, पंचनामा, नक्शा आदि को संबंधित न्यायालय में भेजने में किसी प्रकार का विलंब न हो।

31.8. घटना की पूर्ण जाँच के पश्चात जाँच प्रतिवेदन धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को भेजा जाएगा। जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के अनुसरण में विचारण शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जाएगा।

31.9. मृत्यु की स्थिति में कथित अपराधी/पीड़ित के निकटतम परिजन को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

31.10. पुलिस फायरिंग में हुई मृत्यु के सभी मामलों के संबंध में छः मासिक विवरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छः मासिक विवरण क्रमशः 15 जनवरी एवं 15 जुलाई तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त हो जाएँ। उक्त विवरण निम्न प्रारूप में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पंचनामा तथा जहाँ उपलब्ध हो, जाँच प्रतिवेदन के साथ भेजे जा सकते हैं:

(i)	घटना	की	तिथि	एवं	स्थान।		
(ii)		थाना		एवं	जनपद।		
(iii)	मृत्यु	की	ओर	ले	जाने	वाली	परिस्थितियाँ:
(a)	मुठभेड़	में	आत्मरक्षा	के	दौरान।		

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(b) विधि-विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान।

(c) गिरफ्तारी करने के दौरान।

(iv) घटना के संक्षिप्त तथ्य।

(v) आपराधिक प्रकरण संख्या।

(vi) अन्वेषण एजेंसी।

(vii) मजिस्ट्रेटीय जाँच/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई जाँच के निष्कर्ष:

(a) विशेष रूप से उन पुलिस अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का उल्लेख, जिन्हें मृत्यु के लिए उत्तरदायी पाया गया हो; तथा

(b) क्या बल का प्रयोग न्यायसंगत था तथा की गई कार्यवाही विधिसम्मत थी या नहीं।

31.11. यदि अन्वेषण के निष्कर्ष के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री/साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आग्नेयास्त्र के प्रयोग से मृत्यु हुई है, जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाएगी तथा उसे निलंबित किया जाएगा।

31.12. जहाँ तक उस पीड़ित के आश्रितों को, जिनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई है, प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) प्रदान किए जाने का प्रश्न है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-A के अंतर्गत प्रदत्त योजना को लागू किया जाना चाहिए।

31.13. संबंधित पुलिस अधिकारी/अधिकारियों को अपने शस्त्र फॉरेंसिक एवं बैलिस्टिक परीक्षण हेतु सौंपने होंगे, तथा अन्वेषण दल द्वारा आवश्यक अन्य सामग्री भी प्रस्तुत करनी होगी, तथापि यह सब भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन अधिकारों के अधीन होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31.14. घटना की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी के परिवार को भी दी जाएगी तथा यदि परिवार को विधिक सहायता/परामर्श की आवश्यकता हो, तो वह भी प्रदान किया जाएगा।

31.15. संबंधित अधिकारियों को घटना के तुरंत पश्चात किसी प्रकार की असामान्य पदोन्नति अथवा तात्कालिक वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे पुरस्कार केवल तभी प्रदान/अनुशंसित किए जाएँ, जब संबंधित अधिकारियों की वीरता संदेह से परे सिद्ध हो जाए।

31.16. यदि पीड़ित का परिवार यह पाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र जाँच या निष्पक्षता के अभाव अथवा दुरुपयोग का कोई पैटर्न विद्यमान है, तो वह घटना के क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत के गुण-दोष का परीक्षण करेगा तथा उसमें उठाई गई शिकायतों का निवारण करेगा।

32. उपर्युक्त दिशानिर्देश पुलिस मुठभेड़ में गंभीर चोटों के मामलों में भी, यथासंभव, लागू होंगे।

33. तदनुसार, हम निर्देशित करते हैं कि उपर्युक्त आवश्यकताओं/मानकों का पुलिस मुठभेड़ों में होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों के सभी मामलों में कड़ाई से पालन किया जाए तथा उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत विधि की उद्घोषणा के रूप में माना जाए।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में जारी उपर्युक्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के आलोक में देश का विधि-नियम हैं तथा इनका पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ ही यह उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

7. यह न्यायालय अनेक मामलों में यह पाता है कि प्रथम दृष्टया कुछ पुलिस अधिकारी, जो पुलिस मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल का हिस्सा होते हैं, अतिरिक्त पदोन्नति, उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने अथवा सामाजिक माध्यमों पर प्रसिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से अनावश्यक रूप से आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं तथा अभियुक्त के पैर में, घुटने के नीचे, गोली लगने से चोट पहुँचाते हैं। ऐसी कार्यवाही विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में निहित है, न कि पुलिस के। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसे भारत के संविधान में निहित आदर्श एवं निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाना है, जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से पृथक करता है। प्रशंसा की आड़ में या अन्य बाहरी उद्देश्यों के लिए, पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक गोलीबारी करके और यहां तक कि गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर भी चोट पहुँचाकर किसी अपराधी को दंडित करने के लिए न्यायपालिका का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यू.डी.एच.आर.) ने अतिरिक्त-न्यायिक, मनमानी एवं त्वरित मृत्युदंड जैसी घटनाओं की प्रभावी रोकथाम एवं जाँच हेतु सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं। यू.डी.एच.आर. द्वारा निर्धारित ये सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं कि पुलिस द्वारा की गई हत्याओं की जाँच में स्वतंत्रता बनी रहे तथा जाँच में दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अप्रभावशीलता एवं लापरवाही की संभावनाओं को रोका जा सके।

9. विधि प्रवर्तन अधिकारियों के आचरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र संहिता (जिसमें वे सभी अधिकारी सम्मिलित हैं जो पुलिस शक्ति का प्रयोग करते हैं) यह निर्धारित करती है कि कर्तव्य के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्वहन के दौरान विधि प्रवर्तन अधिकारी सभी व्यक्तियों की मानव गरिमा का सम्मान एवं संरक्षण करेंगे तथा उनके मानवाधिकारों को बनाए रखेंगे एवं उन्हें सुदृढ़ करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा विधि प्रवर्तन अधिकारियों के अच्छे आचरण हेतु निर्धारित मूल मानवाधिकार मानकों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि;

(i) बल का प्रयोग केवल तब किया जाए जब वह अत्यंत आवश्यक हो तथा परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम सीमा तक ही किया जाए; तथा

(ii) किसी भी प्रकार की न्यायेतर हत्या अथवा “गायब कर दिए जाने” की घटनाओं को अंजाम न दिया जाए, न ही उनका आदेश दिया जाए और न ही उन्हें छुपाया जाए, तथा ऐसे किसी भी आदेश का पालन करने से इनकार किया जाए।

10. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गरिमा भी सम्मिलित है। उक्त अनुच्छेद निम्नलिखित है;

"21. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण.— किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

11. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि मानव जीवन एवं गरिमा का संरक्षण केवल भारत के संविधान का उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किए गए सार्वभौमिक सिद्धांत भी हैं, जिन्हें विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कुछ अधिकारियों की मनमानी पर आधारित इच्छानुसार समाप्त नहीं किया जा सकता।

12. भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 यह निर्धारित करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित या प्रतिपादित विधि देश की विधि होगी तथा उसका पालन न्यायालयों के साथ-साथ राज्य एवं उसकी एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 141 निम्नलिखित है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



141. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना— भारत के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि बाध्यकारी होगी।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु या गंभीर चोटें होने की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में जारी दिशानिर्देशों का पालन करने में कोई अपवाद नहीं है, यद्यपि उक्त प्रकरण के विभिन्न पैरा में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। चूंकि वर्तमान एवं संबंधित प्रकरण पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गंभीर चोटें पहुँचने से संबंधित हैं, अतः यह न्यायालय पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गंभीर चोटें पहुँचने की स्थिति में संक्षेप में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करता है;

i. यदि किसी सूचना के आधार पर पुलिस दल घटनास्थल पर पहुँचता है तथा पुलिस मुठभेड़ होती है, जिसमें पुलिस दल द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जाता है और परिणामस्वरूप अभियुक्त या कोई अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, तो इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख द्वारा उसी थाना अथवा निकटवर्ती थाना में दर्ज की जाएगी, किन्तु उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का अन्वेषण सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा अथवा किसी अन्य थाना की पुलिस टीम द्वारा किया जाएगा, जो मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के प्रमुख से कम से कम एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगा।

ii. प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुठभेड़ में संलग्न पुलिस दल के सदस्यों के नामों को अभियुक्त/संदिग्ध के रूप में अंकित करना आवश्यक नहीं होगा, केवल यह उल्लेख किया जाएगा कि वह एस.टी.एफ. अथवा नियमित पुलिस दल है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. घायल अपराधी/पीड़ित को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा उसकी चोटों का परीक्षण कराया जाएगा और तत्पश्चात उसका बयान किसी मजिस्ट्रेट अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ अभिलिखित किया जाएगा।

iv. पुलिस मुठभेड़ की घटना की पूर्ण जाँच के पश्चात जाँच प्रतिवेदन सक्षम न्यायालय को भेजा जाएगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

v. पुलिस मुठभेड़ की घटना के तुरंत पश्चात संबंधित पुलिस दल के अधिकारी को किसी प्रकार की असामान्य पदोन्नति या वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे पुरस्कार केवल तभी दिए या अनुशंसित किए जाएँ जब पुलिस प्रमुख द्वारा गठित समिति द्वारा संबंधित व्यक्ति की वीरता संदेह से परे स्थापित कर दी जाए।

vi. यदि पुलिस मुठभेड़ में घायल व्यक्ति का परिवार यह पाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है या स्वतंत्र जाँच के अभाव, अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा दुरुपयोग या निष्पक्षता की कमी का कोई पैटर्न विद्यमान है, तो वह घटना के क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायाधीश के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सत्र न्यायाधीश शिकायत के गुण-दोष का परीक्षण करेगा तथा उसमें उठाई गई शिकायतों का निवारण करेगा।

14. उपर्युक्त चर्चा तथा पुलिस महानिदेशक के आश्वासन के दृष्टिगत, यह न्यायालय आगे निर्देशित करता है कि यदि किसी जनपद में यह पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में पुलिस मुठभेड़ के संबंध में, जहाँ मृत्यु या गंभीर चोटें हुई हों, निर्धारित उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, तो न केवल उस पुलिस दल का नेतृत्व करने वाला अधिकारी बल्कि जिला पुलिस प्रमुख, चाहे वह एस.पी./एस.एस.पी. हो अथवा कमिश्नर पुलिस हो, न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे, साथ ही उनके विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संस्थित की जाएगी।

15. चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) में यह अवलोकन किया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु या गंभीर चोटों के संबंध में किसी प्रकार की निष्क्रियता से असंतोष है, तो वह सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः सत्र न्यायाधीश ऐसी शिकायत पर कार्यवाही कर सकता है तथा उपयुक्त मामलों में इस विषय को उच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, ताकि जहाँ पी.यू.सी.एल. प्रकरण (उपरोक्त) के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया हो, वहाँ जिला पुलिस प्रमुख के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

16. मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए, विद्वान् अधिवक्ता आवेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था। तत्पश्चात् कुछ चाँदी की वस्तुओं की बरामदगी, जिनमें चार जोड़ी पायल, दस जोड़ी बिछिया, पाँच चाँदी के सिक्के, एक छोटी सफेद धातु की लक्ष्मी एवं गणेश की मूर्ति सम्मिलित है, के आधार पर उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में फँसाया गया है, जबकि धारा 105 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के भीतर पेन ड्राइव प्रेषित नहीं किया गया। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया गया है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता शेष नहीं है। आवेदक ने संलग्न शपथपत्र में तीन आपराधिक मामलों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है तथा वह दिनांक 30.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी निवेदन किया गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

17. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

18. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य की स्थिति, अभियुक्त की संलिप्तता, भीड़भाड़ वाली जेलों की स्थिति एवं विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के आलोक में, एवं मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस मत का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

19. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अभियुक्त राजू @ राजकुमार को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेगा, जिनके साथ निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

i. अभियुक्त किसी भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करेगा।

ii. अभियुक्त विचारण/अन्वेषण में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करेगा तथा अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

iv. अभियुक्त अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

20. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

21. आवेदक तथा जमानतीगण की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व किया जाएगा।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा यह उपक्रम दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

23. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा रिहाई आदेश को बंधपत्र आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को प्रेषित किया जाएगा, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित की जा सके।

24. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: स्वप्रेरित रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 सन् 2021, जिसका निर्णय दिनांक 31.01.2023 को हुआ तथा जिसे (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है”, के अनुपालन में प्रेषित करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के सभी जिला जजों को प्रेषित करें।

26. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह पाया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है, अतः रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) को भी निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नई व्यवस्था तत्काल स्थापित करे।

30 जनवरी, 2026

A. Kr.

न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार सिंह देशवाल,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।